

राजस्थान सरकार  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

3

क्रमांक : एफ 9(5)(5-1) एन.एस.ए.पी. / सा.न्या.अ.वि. / 08-09 / 5047

जयपुर, दिनांक : 7-10-09

आदेश

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत निम्नांकित पात्रता की विधवाओं को रु.400/- प्रतिमाह की दर से पेंशन देय है जिसमें भारत एवं राज्य सरकार की बराबर की हिस्सेदारी है:-

“भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप सूचीबद्ध बी.पी.एल. परिवार की विधवा जिसकी आयु 40 से 64 वर्ष के बीच की है”

भारत सरकार के पत्रांक जे-11013/02/2007/एन.एस.ए.पी./दिनांक 17.02.09 द्वारा प्राप्त दिशा निर्देशानुसार इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वितों की ग्रामीण क्षेत्रों में पहचान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप तैयार की गई बी.पी.एल. सूची 2002 को प्रयोग में लिया जाना है तथा शहरी क्षेत्रों में लाभान्वितों की पहचान करने हेतु वर्तमान में प्रचलित बी.पी.एल. सूची को प्रयोग में लिया जाना है।

राज्य सरकार द्वारा उपर्युक्त योजना को तुरन्त प्रभाव से राज्य में प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है।

इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभान्वित विधवा को कुल देय पेंशन राशि रु. 400/- प्रतिमाह में से भारत सरकार के हिस्से की राशि रु. 200/- प्रतिमाह का भुगतान निम्नांकित बजट मद में उपलब्ध प्रावधान में से किया जायेगा :-

1. 2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
- 60 - अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम
- 102 - सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन
- (01) - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से
- [07] - इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन
- 24 - पेंशन और उपदान (आयोजना)

राज्य सरकार के हिस्से की राशि रु. 200/- प्रतिमाह का भुगतान निम्नांकित बजट मद में उपलब्ध प्रावधान में से किया जायेगा :-


2. 2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
- 60 - अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम
- 102 - सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन
- (01) - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से
- [05] - विधवा पेंशन
- 24 - पेंशन और उपदान (आयोजना निम्न)

3

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि:-

1. राजस्थान वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन नियम 1974 के अन्तर्गत पात्र विधवाओं को लाभान्वित करने की पेंशन योजना यथावत है।
2. ऐसी विधवाएँ जो वर्तमान में राजस्थान वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन नियम 1974 के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त कर रही हैं जिनकी आयु 40 से 64 वर्ष के मध्य है तथा इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) के अन्तर्गत पात्रता की शर्तें पूर्ण करती हैं, उन्हें चिन्हित कर इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) में स्थानान्तरित कर उपर्युक्तानुसार पेंशन का भुगतान किया जायेगा।
3. 40 वर्ष तक की आयु की विधवाएँ जो राजस्थान वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन नियम 1974 के अन्तर्गत पात्रता रखती हैं, उन्हें राजस्थान वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन नियम 1974 के अन्तर्गत पेंशन देय होगी।

यह आदेश वित्त (व्यय-2) विभाग की अन्तर्विभागीय टीप 100903328 दिनांक 05.10.09 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुक्रम में जारी किये जाते हैं।


  
आयुक्त एवं शासन सचिव

क्रमांक : एफ 9(5)(5-1) एन.एस.ए.पी./सा.न्या.अ.वि./08-09/5048-5161

जयपुर, दिनांक 7/10/09

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. उप शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, वित्त (आयोजना) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. उप सचिव (जे), मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, राज्यमंत्री, सा.न्या.अ.विभाग, जयपुर।
6. सम्भागीय आयुक्त (समस्त)।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सा.न्या.अ.विभाग, जयपुर।
8. समस्त जिला कलेक्टर्स ..... को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय समसंख्यक पत्रांक 1644-78 दिनांक 27.02.09 द्वारा आपको भारत सरकार के पत्रांक जे-11013/02/2007/एन.एस.ए.पी./दिनांक 17.02.09 की प्रति पूर्व में भिजवाई जा चुकी है। अतः कृपया उपर्युक्त पेंशन योजना के अन्तर्गत पात्रता रखने वाली विधवाओं को चिन्हित कर उक्त पेंशन योजना का लाभ अविलम्ब दिया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करे।
9. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
10. परियोजना निदेशक, (एस.सी.एस.पी.), सा.न्या.अ.विभाग, जयपुर।
11. समस्त कोषाधिकारी .....
12. उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परि. एवं स.क.अधिकारी, सा.न्या.अ.विभाग .....

  
मुख्य लेखाधिकारी

49

No. J-11015/1/2011-NSAP  
Government of India  
Ministry of Rural Development

Krishi Bhawan, New Delhi  
Dated June 31, 2011

**OFFICE MEMORANDUM**

**Subject: Guidelines for Central assistance under the Indira Gandhi National Widow Pension Scheme (IGNWPS).**

The undersigned is directed to refer to the guidelines of Indira Gandhi National Widow Pension Scheme (IGNWPS) issued vide O.M. No. J-11012/1/2009-NSAP dated 30<sup>th</sup> September 2009. The eligibility criteria mentioned in the guidelines for the purpose of claiming central assistance was that the age of widow shall be in the age group of 40-64 years and must belong to a household living below the poverty line according to the criteria prescribed by the Government of India.

2. As a result of decision of the Government of India to lower the age limit from 65 years to 60 years under the ongoing Indira Gandhi National Old Age Pension (IGNOAPS), it has been decided to modify the eligibility criteria for widow pension under IGNWPS as follows:-

**I Eligibility Criteria**

For purpose of claiming Central assistance, the following criteria shall apply:

- i) The age of the widow shall be between 40-59 years.
- ii) The applicant must belong to a household below the poverty line according to the criteria prescribed by the Government of India.

3. The other provisions regarding the 'Amount of Pension', 'Certificate of Coverage', 'Allocation of Funds', 'Discontinuation of Pension' etc. will remain the same as mentioned in the O.M. No. dated 30<sup>th</sup> September 2009.

  
(Sanjay Kumar Rakesh)  
Joint Secretary to the Government of India

Secretary  
In-charge of NSAP  
All States/ Union Territories

No. J-11015/ 1/2012-NSAP  
Government of India  
Ministry of Rural Development

Krishi Bhawan, New Delhi  
Dated: 8 November, 2012

**OFFICE MEMORANDUM**

**Subject: Guidelines for Central assistance under the Indira Gandhi National Widow Pension Scheme (IGNWPS).**

The undersigned is directed to refer to the guidelines of Indira Gandhi National Widow Pension Scheme (IGNWPS) issued vide O.M. No. J-11015/1/2011-NSAP dated 30<sup>th</sup> June 2011. The eligibility criteria mentioned in the guidelines for the purpose of claiming central assistance was that the age of widow shall be in the age group of 40-59 years and must belong to a household living below the poverty line according to the criteria prescribed by the Government of India.

2. Government of India has decided to revise the eligibility age from 40-59 years to 40-79 under the ongoing Indira Gandhi National Widow Pension Scheme (IGNWPS) and also to increase the rate of assistance from Rs. 200/- to Rs. 300/-. The revised norms will come into effect from 1.10.2012. Accordingly, the revised criteria for grant of pension under IGNWPS would be as under:-

**I Eligibility Criteria**


For purpose of claiming Central assistance, the following criteria shall apply :

1) The age of the widow shall be between 40-79 years.

**II Amount of pension**

The Central Assistance under IGNWPS will be provided at the rate of Rs. 300 per month per beneficiary.

3. The other provisions regarding 'Eligibility Criteria', 'Certificate of Coverage', 'Allocation of Funds', 'Discontinuation of Pension' etc. will remain the same as mentioned in the O.M. dated 30<sup>th</sup> June 2011.

  
(VIJAYA SRIVASTAVA)

Joint Secretary to the Government of India


Secretary  
In-charge of NSAP  
All States/ Union Territories

10

3. The other provisions regarding 'Eligibility Criteria', 'Certificate of Coverage', 'Allocation of Funds', 'Discontinuation of Pension' etc. will remain the same as mentioned in the O.M. dated 30<sup>th</sup> June 2011.

\*\*

Secretary  
In-charge of NSAP  
All States/ Union Territories

  
(VIJAYA SRIVASTAVA)  
Joint Secretary to the Government of India